सिंडिकेट बैंक नैगम कार्यालय 2nd क्रॉस, गांधी नगर, बैंगलूरु – 560009 दूरभाष: 080-22283030 फैक्स: 080-22283030 ईमेल आईडी: inrc@syndicatebank.co.in	सिंडिकेटबैंक SyndicateBank	SyndicateBank Corporate Office 2nd Cross, Gandhi Nagar, Bengaluru – 560009 Tel.: 080-22283030 Fax: 080-22283030 Email Id: inrc@syndicatebank.co.in

निवेशक संपर्क केन्द्र/Investor Relations Centre

संदर्भ सं./Ref. No.: 501/CO/2914/INRC/SE/2018-19 **दिनांक/Date: 09.10.2018**

The Vice President (Listing) **NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD.** Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051 (NSE Symbol: SYNDIBANK)	**The Vice President (Listing)** **BSE LIMITED** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001 (BSE Symbol: 532276)

Sub.: Notice of Extraordinary General Meeting ("EGM") – Publication in Newspapers.

Dear Sir/Madam,

Notice, informing the Shareholders of holding an Extraordinary General Meeting ("EGM") of Shareholders of the Bank to be held on Monday, 29th October, 2018 at Manipal has been published in Business Standard (Hindi and English- All editions) and Udayavani- Kannada (Karnataka) on 02.10.2018.

Photo copies of paper publication published in the Business Standard and Udayavani are enclosed.

This information is given pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Thanking you.

Yours faithfully,
For **SyndicateBank**

(सुशांत जैन/Sushant Jain)
कंपनी सचिव/Company Secretary

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
विश्वसनीय, मैत्रीपूर्ण
Faithful, Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

मुख्य कार्यालय: मणिपाल

नोटिस

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सिंडिकेट बैंक के शेयरधारकों की **असाधारण आम बैठक सोमवार, 29 अक्तूबर 2018** को प्रातः 10 बजे सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभा भवन, मणिपाल-576 104 में निम्नलिखित कार्यवाहियों के संव्यवहार के लिए होगी:

1. बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक (केंद्र सरकार से भिन्न) का चयन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3)(i), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970/1980 और सिंडिकेट बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमावली, 1998 और भारतीय रिजर्व बैंक की संबंधित अधिसूचना सं.डीबीआर.एपीटी.बीसी सं. 38/29.39.001/2016-17 दिनांक 24.11.2016 के साथ परिपत्र डीबीओडी.सं. बीसी. सं. 95/29.39.001/2010-11, दिनांक 23.05.2011 और डीबीओडी सं. बीसी. सं. 46एंड47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 और भारत सरकार द्वारा एफ सं. 16/51/2012–बीओ आई दिनांक 28.04.2015 और दिनांक 20.07.2016 के माध्यम से निर्धारित मानदंडों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के निदेशक मंडल में गैर–सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति और अन्य वर्तमान और लागू नियमों के लिए।

2. प्रत्येक ₹10/- (दस रुपये केवल) अंकित मूल्य के 9,00,00,000 (नौ करोड़) तक के नये इक्विटी शेयर को, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सिंडिकेटबैंक – ईएसपीएस" कहा गया है) के अंतर्गत मंडल / समिति द्वारा यथा निर्णय के अनुसार निर्धारित मूल्य या मूल्यों और निबंधन एवं शर्तों पर एक या उससे अधिक श्रृंखला में प्रस्ताव, निर्गम, और आबंटन को अनुमोदित करने के लिए।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
(सुशांत जैन)
कंपनी सचिव

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 01.10.2018

टिप्पणी: बैंक की असाधारण आम बैठक ("ईजीएम") के आयोजन की वैयक्तिक सूचना, बैठक की कार्यवाहियों से संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों के व्याख्यात्मक कथन के साथ बैंक के सभी शेयरधारकों को ई–मेल किया जाता है / प्रेषित किया जाता है।

शेयरधारकों को इसकी प्राप्ति न होने पर उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी सचिव से बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु, दूरभाष सं. 080-2228 3030 या **inrc@syndicatebank.co.in** पर संपर्क करें। असाधारण आम बैठक की सूचना की प्रति (शेयरधारक निदेशक के चुनाव और लागू नियमों के प्रावधानों सहित) बैंक की वेबसाईट **www.syndicatebank.in** में भी उपलब्ध है।

शेयरधारक निदेशक का चुनाव:

ए) चुनाव में भाग लेने के लिए निर्धारित तिथि:
जिन शेयरधारकों के नाम मंगलवार, 25 सितंबर, 2018 **(निर्धारित तिथि)** को संव्यवहार समय की समाप्ति पर एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा यथा प्रस्तुत शेयरधारकों / हिताधिकारी पंजी में प्रकाशित किए गए हैं, वे **बैंक के शेयरधारकों में से 1 (एक) निदेशक** (केंद्र सरकार से भिन्न) के चुनाव में सहभागिता करने अर्थात् चुनाव में नामित करने, चुनाव लड़ने और मतदान करने के हकदार होंगे।

बी) चुनाव प्रक्रिया की अन्य मदें:

1) बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक (केंद्र सरकार से भिन्न) के रूप में चुनाव लड़ने के आकांक्षी शेयरधारकों से अपेक्षित है कि वे महा प्रबंधक, लेखापरीक्षा और निरीक्षण विभाग, सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल-576 104, को असाधारण आम बैठक की निर्धारित तिथि से पहले अर्थात् बैंक के कारोबार समय की समाप्ति (शाम 5 बजे) से 14 (चौदह) दिन पहले शुक्रवार, 12 अक्तूबर 2018 या उससे पूर्व नामांकन फॉर्म, घोषणा पत्र / बॉयोडाटा और अन्य संबंधित दस्तावेज़ों को सभी प्रकार की पूर्णता के साथ प्रस्तुत करें। बैंक के शेयरधारकों को प्रेषित वैयक्तिक सूचना से संलग्न प्रारूप में उक्त नामांकन फॉर्म को सभी प्रकार से पूर्ण करके और न्यूनतम 100 शेयरधारकों द्वारा विधिवत् भरकर कर प्रस्तुत करें। इसकी प्रस्तुति की असफलता में नामांकन अस्वीकृत हो जाएंगे।

2) शेयरधारकों को चुनाव लड़ने के लिए सिंडिकेटबैंक के (शेयर और बैठक) विनियमन, 1998 के विनियम 64 में वर्णित विनिर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार शेयरधारकों की सूची बैंक के मणिपाल स्थित प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक, लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग के कार्यालय से एक अक्तूबर 2018 और इसके आगे से शेयरधारकों द्वारा सिंडिकेटबैंक के पक्ष में क्रमशः ₹50,000/- रुपये एवं ₹10,000/- रुपये का भुगतान हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी के लिए मांग ड्राफ्ट के द्वारा जो कि बेंगलूरु में प्रदेय हो करते हुए अथवा सिंडिकेटबैंक की गाँधीनगर शाखा बेंगलूरु में सिंडिकेटबैंक के कॉरपोरेट कार्यालय के चालू खाता क्रमांक 04001140000034 (आईएफएससी कोड SYNB0000400) में नेफ्ट के द्वारा उक्त कार्य के लिए अपेक्षित धनराशि जमा करा सकते हैं।

3) यदि केवल 1 (एक) वैध नामांकन प्राप्त होता है, तो जिस शेयरधारक के संबंध में वैध नामांकन है, (भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त एवं उचित दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार मंडल की जाँच समिति एवं नामांकन समिति द्वारा संवीक्षा के अधीन), उसे विधिवत् चयनित माना जाएगा और उस परिस्थिति में असाधारण आम बैठक में एजेंडा परिचालित नहीं किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान:

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि सेबी (सूचीयन देयताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014, जिनका समय–समय पर संशोधन किया गया है, के प्रावधानों के अनुसार, बैंक ने मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लि. के माध्यम से ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करायी है, जो कि दिनांक 25 अक्तूबर 2018, गुरुवार को प्रातः 9 बजे प्रारंभ होगी और दिनांक 28 अक्तूबर 2018, रविवार को शाम 5 बजे समाप्त होगी। इसके बाद मतदान की अनुमति नहीं होगी।

एजेंडा की मद सं. 1 के अनुसार शेयरधारकों / लाभार्थियों के ई–मतदान के अधिकारों की गणना उनके द्वारा मंगलवार, 25 सितंबर 2018 की स्थिति में जो कि इस उद्देश्य के लिए निर्धारित तिथि है, को उनके पास कितने इक्विटी शेयर हैं, इस आधार पर की जाएगी। एजेंडा क्रमांक 2 में शेयरधारकों की मत देने की पात्रता का आकलन करने के लिए बैंक ने 22.10.2018, सोमवार की तिथि निर्धारित की है। बैंक के कोई भी शेयरधारक जो कि उक्त निर्धारित को भौतिक रूप में अथवा बेकागजी रूप में बैंक के शेयर अपने पर रखे हैं, वे निर्धारित तिथि / अंतिम तिथि को अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से कर सकते हैं।

ऐसे शेयरधारक, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान नहीं कर सके हैं, वे असाधारण आम बैठक के दौरान एजेंडा मद के अनुसार मतदान करने के लिए पात्र होंगे। ऐसे शेयरधारक जोकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान कर चुके हैं, वे असाधारण आम बैठक में हिस्सा लेने के लिए पात्र होंगे लेकिन, एजेंडा की मदों के अनुसार उन्हें मतदान की अनुमति नहीं होगी।

ई–मतदान एवं असाधारण आम बैठक के मतदान के समेकित परिणामों को बैंक की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज को भी अवगत कराया जाएगा।

इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए शेयरधारकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ़एक्यू) और शेयरधारकों के लिए ईलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रयोक्ता अनुदेश पुस्तिका, जो कि https:// evoting.karvy.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध हैं, का संदर्भ ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर आप मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राईवेट लि., हैदराबाद, से 1800 345 4001 (टॉल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं।

यह सूचना सिंडिकेटबैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमावली, 1998 के विनियम 56(1) के अनुसरण में जारी की जाती है।

Business Standard
BENGALURU
TUESDAY, 2 OCTOBER 2018

सिंडिकेटबैंक **SyndicateBank**
विश्वसनीय मैत्रीपूर्ण Faithful, Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

Head Office: Manipal

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of SyndicateBank will be held on **Monday, 29th October, 2018, at 10 AM at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal - 576 104** to transact the following business/es:

1. To elect 1 (one) Director from amongst Shareholders of the Bank (other than Central Government) in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with Banking Regulation Act, 1949, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, SyndicateBank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, Circular No. DBOD. No.BC.No.46&47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 & DBOD. No.BC.No.95 /29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 read with relative Notification No.DBR.Apt.BC.No.38/29.39.001/2016-17 dated 24.11.2016 issued by Reserve Bank of India and criteria laid down by Government of India vide F.No. 16/51/2012-BO.I dated 28.04.2015 & 20.07.2016 for appointment of Part Time Non Official Director on the Boards of Public Sector Banks and other extant and applicable laws.
2. To approve offer, issue and allot upto 9,00,00,000 (Nine Crore) new equity shares of face value of ₹10/- each (Rupees Ten only) in one or more tranches, under Employee Stock Purchase Scheme (hereinafter referred to as "SYNDIBANK-ESPS") at such price or prices and on such terms and conditions as may be decided by the Board / Committee.

By order of the Board of Directors
(Sushant Jain)
Company Secretary

Place : Bengaluru
Date : 01.10.2018

Notes: Individual Notices convening the Extraordinary General Meeting ("EGM") of the Bank along with the Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting are being e-mailed / despatched to all the Shareholders of the Bank.

In case any of the Shareholders do not receive the same, they are requested to contact the Company Secretary at Corporate Office, Bengaluru of the Bank at 080-2228 3030 or **inrc@syndicatebank.co.in.** Copy of EGM Notice (containing forms relating to election of Shareholder Director and provisions of applicable laws) is also available in Bank's website: **www.syndicatebank.in.**

ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTOR:

a) Specified Date for participation in Election:
Those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial owners as furnished by NSDL / CDSL as at the close of business hours on the date i.e. Tuesday, the 25th September, 2018 **(Specified Date)** shall be entitled to participate in the election i.e. **nominate, contest and vote in election of 1 (one) Director** from amongst Shareholders of the Bank (other than Central Government).

b) OTHER ITEMS FOR THE ELECTION PROCESS:

1) Shareholders desirous of contesting the election of Director of the Bank from amongst Shareholders (other than Central Government) should submit their Nomination Forms along with the Declaration / Bio-Data and other connected documents complete in all respects to the General Manager, Audit & Inspection Department, SyndicateBank, Head Office, Manipal-576 104 on any working day, not less than 14 (fourteen) days before the date fixed for the EGM i.e., on or before the closing hours (5 PM) of the Bank on Friday, 12th October, 2018. The said Nomination Forms should be complete in all respects and be duly filled in by a minimum of 100 Shareholders in the format annexed to the individual notices being posted to Shareholders of the Bank, failing which the Nominations are liable to be rejected.
2) To enable the Shareholders to contest the election, a copy of list of Shareholders as mentioned in Regulation 64 of the SyndicateBank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 will be available at the Head Office, Manipal of the Bank with the General Manager, Audit & Inspection Department, Head Office, Manipal from Monday, 1st October 2018 onwards for purchase by Shareholders on payment of ₹50,000/- and ₹10,000/- for Hard Copy and Soft Copy respectively by Demand Draft in favour of SyndicateBank, payable at Bengaluru or through NEFT to SyndicateBank-Corporate Office, Current Account Number 04001140000034 (IFSC Code SYNB0000400) with Gandhinagar Branch, Bengaluru.
3) If only 1 (one) valid Nomination is received, then the Shareholder in respect of whom the valid Nominations (subject to scrutiny by the Scrutiny Committee and Nomination Committee of the Board in terms of Fit and Proper Guidelines issued by Government of India and Reserve Bank of India) shall be deemed to have been elected and in that event the agenda would not be transacted at the EGM.

VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS:

Shareholders may please note that pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, the Bank has provided E-voting facility for transacting the item/s of business/es through M/s Karvy Computershare Private Limited (Karvy) which will commence at 9 AM on Thursday, 25.10.2018 and end at 5 PM on Sunday, 28.10.2018 and voting shall not be allowed thereafter.

The E-voting rights of the shareholders / beneficiary owners in respect of Agenda Item No.1 shall be reckoned on the Equity Shares held by them as on Tuesday, 25th September, 2018 being the Specified Date for the purpose. The Bank has fixed Monday, 22.10.2018 as the Cut-off date for ascertaining the eligibility of Shareholders to vote on the Agenda Item No.2. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date / Specified Date, may cast their vote electronically.

Shareholders who do not cast their votes through remote E-voting shall be entitled to attend and vote on the Agenda Items at the EGM. Shareholders who cast their votes through remote E-voting will be entitled to attend the EGM but will not be allowed to vote on the Item/s on the Agenda.

The consolidated results of Remote E-voting together with the results of Voting at the EGM will be hosted by the Bank in its website and also informed to the Stock Exchanges.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and E-voting User Manual for Shareholders available at the Downloads section of https://evoting.karvy.com and in case of grievance, if any, you may contact M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad at 1800 345 4001 (Toll Free).

... Regulation 58(1) of SyndicateBank (Shares & Meetings) Regulations, 1998

बिज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 2 अक्टूबर 2018 मंगलवार

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
विश्वसनीय मैत्रीपूर्ण Faithful Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

मुख्य कार्यालय: मणिपाल

नोटिस

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सिंडिकेट बैंक के शेयरधारकों की **असाधारण आम बैठक सोमवार, 29 अक्तूबर 2018** को प्रातः 10 बजे सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभा भवन, मणिपाल-576 104 में निम्नलिखित कार्यवाहियों के संव्यवहार के लिए होगी:

1. बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक (केंद्र सरकार से भिन्न) का चयन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3)(i), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970/1980 और सिंडिकेट बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमावली, 1998 और भारतीय रिजर्व बैंक की संबंधित अधिसूचना सं.डीबीआर.एपीटी.बीसी सं. 38/29.39.001/2016-17 दिनांक 24.11.2016 के साथ परिपत्र डीबीओडी.सं. बीसी. सं. 95/29.39.001/2010-11, दिनांक 23.05.2011 और डीबीओडी सं. बीसी. सं. 46एंड47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 और भारत सरकार द्वारा एफ सं. 16/51/2012–बीओ आई दिनांक 28.04.2015 और दिनांक 20.07.2016 के माध्यम से निर्धारित मानदंडों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के निदेशक मंडल में गैर–सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति और अन्य वर्तमान और लागू नियमों के लिए।
2. प्रत्येक ₹10/- (दस रुपये केवल) अंकित मूल्य के 9,00,00,000 (नौ करोड़) तक के नये इक्विटी शेयर को, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सिंडिकेटबैंक – ईएसपीएस" कहा गया है) के अंतर्गत मंडल / समिति द्वारा यथा निर्णय के अनुसार निर्धारित मूल्य या मूल्यों और निबंधन एवं शर्तों पर एक या उससे अधिक श्रृंखला में प्रस्ताव, निर्गम, और आबंटन को अनुमोदित करने के लिए।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
(सुशांत जैन)
कंपनी सचिव

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 01.10.2018

टिप्पणी: बैंक की असाधारण आम बैठक ("ईजीएम") के आयोजन की वैयक्तिक सूचना, बैठक की कार्यवाहियों से संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों के व्याख्यात्मक कथन के साथ बैंक के सभी शेयरधारकों को ई–मेल किया जाता है / प्रेषित किया जाता है।

शेयरधारकों को इसकी प्राप्ति न होने पर उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी सचिव से बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु, दूरभाष सं. 080-2228 3030 या **inrc@syndicatebank.co.in** पर संपर्क करें। असाधारण आम बैठक की सूचना की प्रति (शेयरधारक निदेशक के चुनाव और लागू नियमों के प्रावधानों सहित) बैंक की वेबसाईट **www.syndicatebank.in** में भी उपलब्ध है।

शेयरधारक निदेशक का चुनाव:

ए) चुनाव में भाग लेने के लिए निर्धारित तिथि:
जिन शेयरधारकों के नाम मंगलवार, 25 सितंबर, 2018 **(निर्धारित तिथि)** को संव्यवहार समय की समाप्ति पर एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा यथा प्रस्तुत शेयरधारकों / हिताधिकारी पंजी में प्रकाशित किए गए हैं, वे **बैंक के शेयरधारकों में से 1 (एक) निदेशक** (केंद्र सरकार से भिन्न) के चुनाव में सहभागिता करने अर्थात् चुनाव में नामित करने, चुनाव लड़ने और मतदान करने के हकदार होंगे।

बी) चुनाव प्रक्रिया की अन्य मदें:

1) बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक (केंद्र सरकार से भिन्न) के रूप में चुनाव लड़ने के आकांक्षी शेयरधारकों से अपेक्षित है कि वे महा प्रबंधक, लेखापरीक्षा और निरीक्षण विभाग, सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल-576 104, को असाधारण आम बैठक की निर्धारित तिथि से पहले अर्थात् बैंक के कारोबार समय की समाप्ति (शाम 5 बजे) से 14 (चौदह) दिन पहले शुक्रवार, 12 अक्तूबर 2018 या उससे पूर्व नामांकन फॉर्म, धोषणा पत्र / बॉयोडाटा और अन्य संबंधित दस्तावेज़ों को सभी प्रकार की पूर्णता के साथ प्रस्तुत करें। बैंक के शेयरधारकों को प्रेषित वैयक्तिक सूचना से संलग्न प्रारूप में उक्त नामांकन फॉर्म को सभी प्रकार से पूर्ण करके और न्यूनतम 100 शेयरधारकों द्वारा विधिवत् भरकर कर प्रस्तुत करें। इसकी प्रस्तुति की असफलता में नामांकन अस्वीकृत हो जाएंगे।
2) शेयरधारकों को चुनाव लड़ने के लिए सिंडिकेटबैंक के (शेयर और बैठक) विनियमन, 1998 के विनियम 64 में वर्णित विनिर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार शेयरधारकों की सूची बैंक के मणिपाल स्थित प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक, लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग के कार्यालय से एक अक्तूबर 2018 और इसके आगे से शेयरधारकों द्वारा सिंडिकेटबैंक के पक्ष में क्रमशः ₹50,000/- रूपये एवं ₹10,000/- रुपये का भुगतान हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी के लिए मांग ड्राफ्ट के द्वारा जो कि बेंगलूरु में प्रदेय हो करते हुए अथवा सिंडिकेटबैंक की गाँधीनगर शाखा बेंगलूरु में सिंडिकेटबैंक के कॉरपोरेट कार्यालय के चालू खाता क्रमांक 04001140000034 (आईएफएससी कोड SYNB0000400) में नेफ्ट के द्वारा उक्त कार्य के लिए अपेक्षित धनराशि जमा करा सकते हैं।
3) यदि केवल 1 (एक) वैध नामांकन प्राप्त होता है, तो जिस शेयरधारक के संबंध में वैध नामांकन है, (भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त एवं उचित दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार मंडल की जाँच समिति एवं नामांकन समिति द्वारा संवीक्षा के अधीन), उसे विधिवत् चयनित माना जाएगा और उस परिस्थिति में असाधारण आम बैठक में एजेंडा परिचालित नहीं किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान:

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि सेबी (सूचीयन देयताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014, जिनका समय–समय पर संशोधन किया गया है, के प्रावधानों के अनुसार, बैंक ने मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लि. के माध्यम से ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करायी है, जो कि दिनांक 25 अक्तूबर 2018, गुरुवार को प्रातः 9 बजे प्रारंभ होगी और दिनांक 28 अक्तूबर 2018, रविवार को शाम 5 बजे समाप्त होगी। इसके बाद मतदान की अनुमति नहीं होगी।

एजेंडा की मद सं. 1 के अनुसार शेयरधारकों / लाभार्थियों के ई–मतदान के अधिकारों की गणना उनके द्वारा मंगलवार, 25 सितंबर 2018 की स्थिति में जो कि इस उद्देश्य के लिए निर्धारित तिथि है, को उनके पास कितने इक्विटी शेयर हैं, इस आधार पर की जाएगी। एजेंडा क्रमांक 2 में शेयरधारकों की मत देने की प्रात्रता का आकलन करने के लिए बैंक ने 22.10.2018, सोमवार की तिथि निर्धारित की है। बैंक के कोई भी शेयरधारक जो कि उक्त निर्धारित को भौतिक रूप में अथवा बेकागजी रूप में बैंक के शेयर अपने पर रखे हैं, वे निर्धारित तिथि / अंतिम तिथि को अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से कर सकते हैं।

ऐसे शेयरधारक, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान नहीं कर सके हैं, वे असाधारण आम बैठक के दौरान एजेंडा मद के अनुसार मतदान करने के लिए पात्र होंगे। ऐसे शेयरधारक जोकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान कर चुके हैं, वे असाधारण आम बैठक में हिस्सा लेने के लिए पात्र होंगे लेकिन, एजेंडा की मदों के अनुसार उन्हें मतदान की अनुमति नहीं होगी।

ई–मतदान एवं असाधारण आम बैठक के मतदान के समेकित परिणामों को बैंक की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज को भी अवगत कराया जाएगा।

इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए शेयरधारकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ़एक्यू) और शेयरधारकों के लिए ईलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रयोक्ता अनुदेश पुस्तिका, जो कि https:// evoting.karvy.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध हैं, का संदर्भ ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर आप मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राईवेट लि., हैदराबाद, से 1800 345 4001 (टॉल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं।

... सिंडिकेटबैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमावली, 1998 के विनियम 56(1) के अनुसरण में जारी की जाती है।